

--:: कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::--
// आदेश //

क्रमांक 69 / एक-11-2 / 11


उज्जैन, दिनांक 09 / 4 / 2025

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के आदेश क्रमांक 721 दिनांक 07.04.2025 के द्वारा श्री कपिल वर्मा प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश महिदपुर के पर किया गया स्थानांतरण निरस्त किये जाने एवं माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के आदेश क्रमांक 749 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा श्री कमलेश सनोड़िया तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश महिदपुर का जिला स्थापना सिवनी में किया गया स्थानांतरण निरस्त किये जाने व उनकी पदस्थापना तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश महिदपुर के पद पर निरन्तर की गई है।

श्री कपिल वर्मा प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश महिदपुर का न्यायालय रिक्त हो जाने के फलस्वरूप कार्यसुविधा की दृष्टि से मैं राजेश कुमार गुप्ता प्रधान जिला न्यायाधीश, उज्जैन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 409 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कपिल वर्मा प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश महिदपुर के न्यायालय में लंबित समस्त साम्प्रतिक एवं आपराधिक प्रकरणों को उनके न्यायालय से प्रत्याहरित कर विधिवत् निराकरण हेतु श्री कमलेश सनोड़िया तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश महिदपुर के न्यायालय में अंतरित करता हूँ।

नोट :

1. श्री कपिल वर्मा प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश महिदपुर के न्यायालय में पदस्थ समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण श्री कमलेश सनोड़िया तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश महिदपुर के न्यायालय में पदस्थ किये जाते हैं।


(राजेश कुमार गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)


पृष्ठांकन क्रमांक / एक-11-2 / 11

उज्जैन, दिनांक 4 / 2025

प्रतिलिपि :-

1. श्री कपिल वर्मा प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश महिदपुर
2. श्री कमलेश सनोड़िया तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश महिदपुर
की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी फाईलिंग अनुविभाग महिदपुर की ओर सूचनार्थ एवं प्रकरण के अंतरण संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित लिपिक को निर्देशित करने हेतु प्रेषित।
4. अध्यक्ष अभिभाषक संघ महिदपुर की ओर सूचनार्थ।




प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)